

27-5-24

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अग्निभाषकगण उपस्थित।
अग्निभाषक अपीलान्ट ने प्रकरण में दिदायत पैरवी
नहीं होने (No instruction) लीड किया।
प्रकरण में अपीलान्ट के नाम रुक-रुक कर आवाज
लगाई गयी किन्तु वे अनुपस्थित है। अतः यह
अपील अग्निभाषक अपीलान्ट द्वारा दिदायत पैरवी
नहीं होने (No instruction) लीड करने
तथा अपीलान्ट के अनुपस्थित रहने के कारण
यह अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती
है। आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अद्यतन रूप
न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली
नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे।
आदेश मुझे न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त सहायक आयुक्त
बीकानेर

No instruction
27-5-24